कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय, मुरादाबाद ।

नोटिस नीलाम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित खाध पदार्थ/फोटो स्टेट की दुकान हेतु स्थल एवं साईकिल स्टैण्ड की नीलामी हेतु वर्ष 2016–2017 के लिये सील्ड टेण्डर दिनॉक 26–03–2016 के लिये दोपहर 1–00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं ।नियत समय के वाद प्राप्त टेण्डरों पर कोई बिचार नहीं किया जायेगा । प्रत्येक टेण्डर हेतु धरोहर राशि 50,000/– रूपये नकद या इसी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो माननीय जनपद न्यायाधीश के नाम देय होगा केन्द्रीय नजारत में जमा कराना होगा । उक्त टेण्डर उसी दिन दोपहर नीलाम समिति के समक्ष खोले जायेगें । न्यूनतम सरकारी वोली से अधिक धनराशि के टेण्डर ही स्वीकृत किये जायेगें।टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि उसी दिन या अगले कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी टेण्डर की स्वीकृति या अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा । टेण्डर की नियम व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक वैवसाईट www.allahabadhighcourt.inतथाhttp:ecourt.gov.in/moradabad पर उपलब्ध हैं । टेण्डर की नियम व शर्ते केन्द्रीय नजारत के नोटिस वोर्ड देखी जा सकती हैं ।

21/3/16

(वी0एस0पटेल)
अध्यक्ष
नीलाम समिति/अपर जिला
जज कोर्ट नं0 02,मुरादाबाद

वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

21/3/2016
नोडल अधिकारी
कम्प्यूटर अनुभाग
जनपद न्यायालय मुरादाबाद

कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय, मुरादाबाद ।

नियम व शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जजी, प्रांगण, मुरादाबाद में खाद्य पदार्थ की दुकानों के लिए एवं फोटो स्टेट की दुकानों के लिए स्थल आवंटित करने हेतु सील बंद टेण्डर नीलामी के दिनांक 26–03–2016 के लिये आमंत्रित किये जाते हैं ।सील वंद टेण्डर केन्द्रीय नजारत में दिनॉक 26–03–2016 की अपरान्ह 1–00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें । नियत समय के उपरान्त प्राप्त टेण्छर पर कोई बिचार नहीं किया जायेगा । प्रत्येक टेण्डर हेतु धरोहर राशि 50,000–00 रूपये नकद या इसी धनराशि का वैक ड्राफ्ट जो माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद के पक्ष में देय होगा जो टेण्डर के साथ केन्द्रीय नजासरत जनपद न्यायालय,मुरादाबाद में जमा कराना होगा ।उक्त टेण्डर उसी दिन दोपहर 2–00 बजे नीलाम समिति के समक्ष खोले जायेगें । टेण्डर अस्वीकृत होने की दशा में धरोहर राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस में वापस कर दिया जाएगा । टेण्डर की स्वीकृति व अस्वीकृति का अधिकारी नीलाम समिति को होगा । इस नीलामी के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्ते होंगी–

1. ठेके की अवधि दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक मान्य होगी।

2. दुकानों पर केवल खाने–पीने की वस्तुयें जैसे– चाय, बिस्कुट, मीठा, नमकीन, खाना व पूड़ी, फल, जल पान ही बेच सकता है। ठेकेदार को स्टाल मूल्य सूची लगानी होगी तथा उसके अलावा किसी अन्य सामग्री खाने या किसी तहबा–जारी वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ठेके की दुकानों पर किसी भी प्रकार की अवैध चीज नशीली या कच्चा मांस, अपमिश्रित या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं बेची जा सकेगी।

4. प्रत्येक वस्तु नियमानुसार स्टैण्डर्ड नहीं पायी गयी तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि ठेका निरस्त कर दें।

5. ठेकेदार बिजली, पानी एवं अपने कार्य के वारदाने तथा टी स्टाल के निर्माण का इंतजाम स्वयं करेगा।

6. ठेके से सम्बन्धित किसी विवाद पर जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय सर्वमान्यएवंअन्तिम होगा।

7. नीलाम की स्वीकृति मिलने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/– के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा। वह इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के समय–समय पर होने वाले आदेशों का पालन करेगा एवं प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति 50,000/– रूपये नीलाम अधिकारी के पास जमा करेगा।

8. नियत दुकान के अलावा कोई दुकान बढ़ायेगा तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि बढ़ी हुयी दुकान को तुरन्त हटवा दें तथा ठेके का अर्थ तहबा जारी से नहीं होगा।

9. ठेकेदार ठेके की अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2017 को अपना सामान हटा लेगा और ठेके के अन्तर्गत भूमि एवं स्थान का कब्जा नाजिर को दे देगा।

10. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके की मूल धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा।

11. अधिकतम बोली बोलने वाले और उस बोली के स्वीकार होने की स्थिति में तत्समय बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी की धनराशि 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा करनी होगी। इस नियम का पालन न करने पर बोली निरस्त समझी जायेगी।

12. ठेके की अवशेष 50 प्रतिशत राशि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा ठेके की बोली की अंतिम स्वीकृति के छः माह के अन्दर बराबर किश्तों में जमा करनी होगी। इस नियम का पालन न करने पर नगद जमा धनराशि 50 प्रतिशत जब्त मानी जायेगी और ठेका आवंटी निरस्त समझा जायेगा। ये नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश के स्वीकृति के अधीन होगी।

13. ठेके की बोली विगत वर्ष की ठेके की अवधि से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर न्यूनतम बोली होगी। इससे कम पर कोई बोली स्वीकार नहीं होगी।

14– टेण्डर की शर्ते एवं न्यूनतम सरकारी वोली के संवंध में सूचना नाजिर के पास देखी जा सकती है ।

विवरण ठेका/नीलाम

1–केन्द्रीय नजारत के सामने चाय की दुकान हेतु स्थल (पश्चिम रूखा)न्यूनतम सरकारी वोली–1,76,000–00

2–केन्द्रीय नजारत के सामने चाय की दुकान हेतु स्थल (पूरव रूखा)न्यूनतम सरकारी वोली–1,76,000–00

3–रजिस्ट्री कार्यालय के सामने चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–2,64,000–00

4– रजिस्ट्री कार्यालय के सामने फोटो स्टेट की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–3,35,000–00

5– न्यायालय परिसर में साईकिल स्टैण्ड हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–4,95,000–00

6– 10 कोर्ट ब्लाक में फोटो स्टेट की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–1,54,000–00

7–सी0जे0एम0ब्लाक में चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–2,20,000–00

8–12 कोर्ट ब्लाक में चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–1,76,000–00

9–सिविल जजी ब्लाक में चाय की दुकान हेतु स्थल न्यूनतम सरकारी वोली–77,000–00

21/3/16.

(वी0एस0पटेल)
चेयरमैन नीलामी कमेटी/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–02,
मुरादाबाद।